भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/33/2015/एफ.सी./771 दिनाँक: 15-9-15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : जनपद चित्रकुट में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा एन0एच0-76/35 के किनारे 11 के0बी0 की भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.39 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- 137/11सी-यू0पी0-042/2015, दिनांक- 14.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है-

1. प्रस्ताव में उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों की पृष्ठ कमांक एवं सारिणी नही बनायी गयी है।
2. भाग-1,ई में परियोजना से प्राप्त होने वाले रोजगार का ब्यौरा नही दिया गया है, जो की गलत प्रतीत होता है। परियोजना की लागत 59.00 करोड़ है, जबकि इस लागत में निश्चित रूप से परियोजना के कार्यान्वयन एवं परिचालन प्रकिया के दौरान अस्थायी एवं स्थायी प्रकृति का रोजगार उत्पन्न होगा।
3. भाग-2 के पृष्ठ 7 में वानस्पतिक घनत्व 0.3 दर्शाया गया है जबकि वृक्षों के पातन के ब्यौरे में पातन होने वाले वृक्षों की संख्या शून्य दिखायी गयी है।
4. प्रस्ताव में प्रभावित संरक्षित वन भूमि की गणना गलत है, पृष्ठ 24 में दी गयी गणना में केबिल डालने हेतु चौड़ाई 0.3मीटर ली गयी है जबकि मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक- 05.05.2014 के अनुसार 11 के0बी0 लाईन डालने हेतु ROW 7.00 मीटर निर्धारित है।
5. पृष्ठ- 18, 19, 20,21,22,23,33,52,53 एवं 54 में संलग्न प्रमाण पत्र में संबंधित अधिकारी की मुहर नही लगी हुई है।
6. एन0पी0वी0 की गणना ईको क्लास, वानस्पतिक घनत्व एवं संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत करें।
7. पृष्ठ 37 के अनुसार प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक वन खण्डों को भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र मुख्य बिन्दुओं के अक्षांश एवं देशान्तर के साथ .shp/kml file में प्रस्तुत करें। ऑनलाईन प्रस्ताव में उपलब्ध कराया गया मानचित्र में मात्र मार्ग के मध्य रेखा के कुछ जी0पी0एस0 बिन्दुओं को ही दर्शाया गया है। उपलब्ध कराये जाने वाले ब्यौरे को डिजीटल रूप में सी0डी0/पैन ड्राइव में भी प्रस्तुत करें।
8. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के गुगल मानचित्र में (जिसमें शीर्षक नही दिया गया है) वृक्षारोपण स्थल को अच्छी तरह से वनाच्छादित दिखाया गया है। अतः सही वृक्षारोपण स्थल का चुनाव करके प्रस्ताव भेजें।
9. पृष्ठ-52 पर उपलब्ध कराया गया स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र (site suitability certificate) निर्धारित प्रपत्र में नही प्रस्तुत किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

संलग्नक- मूल प्रस्ताव

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

14/9/15

संख्या- भू.ज.-1424/14-2-2015
दिनांक = 10-11-2015

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

कृपया उक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उठायें गये बिन्दुओं का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

10.11.15

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।